न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 102 / 2023

निर्णय दिनांक :– 15/6/2023

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. किशनलाल पुत्र जगदीश जाति माली उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–

श्री नन्दलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 55 खसरा नम्बर 60 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 61 रकबा 0.21 हे0 वाके ग्राम राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि के सीमा चिन्ह्न मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है जिसके कारण मोके पर प्रार्थीगण एवं पडोसी खातेदारों के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने की संभावना है। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:– ख. नं. 60 रक 0.12 है0, ख. नं. 61 रकबा 0.21 है0 उक्त खातेदार किशनलाल पुत्र जगदीश जाति माली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है उक्त आराजी में अन्य खातेदार का कब्जा नहीं है। आवेदक का अन्य पड़ोसी खातेदारों से सीमा विवाद नहीं है इसलिए अन्य पडोसी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त नही है । उक्त आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान नही करवाया है। आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर राजकीय अतिक्रमीत भूमि नहीं है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबन्दी सम्वत **2073–2076** में अंकित खाता संख्या 55 खसरा नम्बर 60 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 61 रकबा 0.21 हे0 वाके ग्राम राजमहल तहसील देवली जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली